concerned about the health and nutritional status of women and girl child in rural areas and has launched the following major nutrition intervention programmes to improve the health status of women and children and bringing down maternal morbidity and mortality.

(1) Creches for the children of Working and Ailing mothers. Assistance is given to voluntary organisations for each creche unit of 25 children with Rs. 18,480/- per annum. This includes providing supplementary nutrition to children at the rate of Rs. 1.05 per day per child for 26 days a month.

(2) Balwadi Nutrition Programme: The programme aims at providing supplementary food, which could supply approximately 1/4 of daily calorie requirements and 1/2 of the daily protein requirements of the child. Central Social Welfare Board is running 3938 Nutrition Balwadis through NGOs.

(3) Under the Integreted Child Development Services, 36.37 lakhs pregnant and lactating mothers are getting supplementary nutrition. In addition 3.51 lakhs adolescent girls (11—18 years) are getting supplementary nutrition under ICDS Scheme.

(4) Department of Women and Child Development is also providing nutrition education and training programmes through its field infrastructure for equipping women and adolescent girls with basic information on food and nutrition so as to enable them to improve their nutritional status.

(5) The Government has also launched the Child Survival and Safe Motherhood (CSSM) programme in August, 1992 to strengthen the ongoing maternal and child health programme with the objective of improving the health status of women and children and reducing maternal and infant mortality rate. Services under this programme are given to 27 million pregnant women annually.

(6) The Government has also a scheme under USAID Funds to reduce morbidity mortality of children under five and women of child bearing age and also to provide family welfare and maternal/ child health services especially in under-served and difficult areas alongwith support services.

(7) Department of Women and Child Development has formulated a National Plan of Action for the SAARC Decade of the Girl Child 1991—2000 AD. NPA for the Girl Child is for both rural and urban areas. The Plan of Action focusses on the 3 major goals of 'Survival' 'Protection' and 'Development' of the girl child in India while emphasising the needs of girl children belonging to special and vulnerable groups and adolescent girls.

It may, however, be mentioned that no scientific data showing that most of the rural girld children and women get improper nutrition in the early years and early pregnancy is available.

अनाथ और बेघर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय

2679. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार अनाथ और बेघर बच्चों के लिए चरणबद्ध तरीके से आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और 30.6.95 तक की स्थिति के अनुसार इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) के राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण हेतु देश के 22 नगरों में एक स्कीम चला रही है । इस स्कीम के अन्तर्गत, वर्ष 1994-95 में, 81 संगठनों को सहायतानुदान दिया गया । इस स्कीम का एक घटक साक्षरता, अंक ज्ञान और जीवन शिक्षा के लिए सुविधाएं

.

J प्रदान करना तथा बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास करना है।

बागवानी हेतु भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट

2680. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बागवानी के प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई प्रस्तावित भूमि को कृषि भूमि का अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड की मुजफ्फरनगर इकाई का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम

2681. **श्री गया सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स की मुजफ्फरनगर इकाई को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण है जबकि इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड ने हिन्दुस्तान ऑरगेनिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के साथ अपना विलय करने का सुझाव दिया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे निजी क्षेत्र की कौन सी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में निबन्धन और शर्ते क्या हैं तथा इसमें किए जाने वाले पूंजी निवेश और कार्यरत कामगारों की सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

रासायन और उर्वरका मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलोरियो) : (क) और (ख) बिहार ड्रग्स आर्गोनिक कमिकल्स लि0 (बी0डी0ओ0सी0एल0), मुजफ्फरपुर, जोकि आई डी पी एल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है में किसी संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आई डी पी एल को प्राधिकृत किया गया है। नियंत्रण में लेने की तकनीकी-आर्थिक संभावनाओं पर तथा एच ओ सी एल द्वारा मुजफ्फरपुर इकाई के पुनरुद्धार पर विचार एच ओ सी एल के प्रबंधक बोर्ड को करना है।

(ग) किसी खास निजी क्षेत्र या सरकार क्षेत्र की कम्पनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम बनाने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Recommendations of Brahama Prakash Committee

2682. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the salient recommendations of the Brahama Prakash Committee report on cooperative Bill;

(b) whether Government have accepted the recommendations of the Committee;

(c) if so, reasons for not introducing the Bill in the Parliament; and

(d) by when Government propose to introduce it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The salient recommendations of the Brahama Prakash Committee Report on 'Model Cooperatives Act' are given in the statement *(see* below)

(b) The Government have accepted the recommendations of the Committee in principle.

(c) and (d) It has been decided to replace the existing Multi State Cooperative Societies Act, 1984 on the lines of the recommendations made by Ch. Brahama Prakash Committee Report. The Multi State Cooperative Societies Bill will be introduced after completing the procedural formalities.